न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, जैसलमेर

पीठासीन अधिकारी : श्री मुन्नीराम बागड़िया, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 02/2022 GCMS- 2022/8

प्रार्थी **बनाम** **अप्रार्थीगण**

श्री जुंजारसिंह पुत्र श्री चुतरसिंह जाति राजपूत निवासी बडोडा गांव तहसील व जिला जैसलमेर।

1. **श्री भीखसिंह पुत्र श्री सवाई सिंह उम्र 52 वर्ष जाति राजपूत निवासी बडोडा गांव तहसील व जिला जैसमलेर**
2. **ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत बडोडा गांव तहसील व जिला जैसलमेर।**
3. **सरपंच ग्राम पंचायत बडोडा गांव तहसील व जिला जैसलमेर।**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित :–

1. श्री पूंजरासिंह, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री टीकुराम गर्ग, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से।
3. ग्राम विकास अधिकारी अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से।

:: निर्णय :: दिनांक :– 18.07.2024

प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नोटिस अप्रार्थीगण को जारी किये गये। निगरानी प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के कथनानुसार अप्रार्थी संख्या 01 को ग्राम पंचायत बडोडा गांव द्वारा जारी पट्टा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम एवं उसके अंतर्गत बने नियमों के विरूद्ध फर्जी व गलत जारी किया गया है। प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थी 01 ने ग्राम पंचायत बडोडा गांव से दिनांक 15.07.2002 को पट्टा 40 गुणा 40 वर्गफीट का अपने पक्ष में जारी होना बताते हुए उक्त पट्टे की हदूद निम्न दर्शित की – उत्तर में चुतरसिंह का मकान, दक्षिण में तनेरावसिंह का मकान खण्डर, पूर्व में गली, पश्चिम में आम रास्ता वताया गया है। उक्त कथित पट्टा प्रारंभत नल एंड वोइड तथा क्षेत्राधिकार से परे होने से निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी का कथन है कि जिस स्थान पर भीखसिंह का मकान 2003 से बना हुआ है उस स्थान पर पट्टा जारी न करवा कर मेरे पुश्तैनी कब्जा सुदा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(एडीएम) जैसलमेर

बाड़े पर काटा गया जो कि गलत है। उक्त बाड़ा 40 गुणा 45 फीट में बना हुआ है तथा मेरे पुश्तैनी मकान से भीखसिंह का मकान 57 फीट दक्षिण दिशा में है। जिसके बीच में एक आम रास्ता भी है। जो कि मेरे बाडे के दक्षिण में व भीखसिंह के उतर में 17 फीट की आम गली है। जिसमें लोगो का आना जाना रहता है। जिसे भीखसिंह द्वारा कुछ समय पूर्व में बंद कर दिया गया है। पट्टा की शर्तो के अनुसार 2 वर्ष में निर्माण किया जाना चाहिए जो शर्त भंग हुई है। इतने वर्षो बाद निर्माण नहीं किये जाने से पट्टा खारिज योग्य है। दो वर्ष में निर्माण नहीं करने से ग्राम पंचायत व सक्षम अधिकारी द्वारा अवधि भी नहीं बढाई गयी है। जिससे पट्टा नियम विरूद्ध होने से खारिज योग्य है। नियमानुसार ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा पुराने कब्जे के आधार पर ही जारी किया जा सकता है। पुराने कब्जा होने का कोई रिकॉर्ड आवंटन अधिकारी के पास नहीं था। मनमाने तरीके से भीखसिंह को अप्रार्थी संख्या 02 व 03 द्वारा उसका नजदीकी व्यक्ति होने से उसको फायदा पहुचाने हेतु सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी ने नियम विरूद्ध पट्टा जारी किये है जो स्वतः ही निरस्तनीय है। मुझ प्रार्थी के पिता चुतर सिंह का पुश्तैनी मकान 40 गुणा 45का पिछले 60–70 वर्ष पूर्व मेरे मकान व उसके दक्षिण दिशा मकान जुड़ता हुआ बाडा 40 गुणा 40 फीट का बना हुआ है, उसके बाद 17 फीट गली या आम रास्ता था, जिसे कुछ माह पूर्व अप्रार्थी भीखसिंह द्वारा आम रास्ता रोक कर उसके उपर गेट लगा दिया है। उसके बाद मुझ प्रार्थी द्वारा संबंधित कार्यापालक मजिस्ट्रेट महोदय जैसलमेर, उपखण्ड अधिकारी जैसलमेर व विकास अधिकारी को रास्ता खुलवाने के लिए प्रार्थना पत्र दिये गये, जिसकी आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। यह है कि उक्त कार्यवाही शुरू होने के बाद उक्त अप्रार्थी भीख सिंह पुत्र सवाई सिंह के द्वारा गांव के लोगो के बताने पर मेरे द्वारा ग्राम पंचायत से पता करने पर मुझे पता चला की मेरे पुश्तैनी /पुराना बाडे व उसके अंदर बने चारे के कमरे के उपर पट्टा करवा कर उसका रजिस्ट्रेशन कर दिया है, तब मेरे द्वारा उक्त पट्टे का दस्तावेज ग्राम पंचायत बडोडा गांव से मांगा, परंतु उक्त अप्रार्थी भीखसिंह के अप्रोचबल होने के कारण उसके दबाव में होने के कारण मुझे नकल नहीं दी गई। उसके बाद मैने पंजीयन कार्यालय जाकर रजिस्ट्री की प्रमाणित प्रति मांगी तब जाकर मुझे पता चला की मेरे 60–70 वर्ष पूर्व बने पशु बाडे व उसके अंदर चारे के होल के उपर झूठा पट्टा जारी करवा कर उसकी रजिस्ट्री भी करवा दी है। उक्त पट्टा व रजिस्ट्री में अप्रार्थीगण भीख सिंह उसमें जो हदूद दर्शाये है वो भी दूसरी जगह की है उसमें पट्टे के हदूद में दक्षिण दिशा में तनेरावसिंह का मकान बताया है, जो कि हमारी इस गली या मोहले में भी नहीं है, क्योकि उक्त हदूद के अनुसार यह पट्टा व रजिस्ट्री झूठी व बेबुनियाद

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(एडीएम) जैसलमेर

हदूदो के अनुसार उक्त स्थान पर जो पट्टा दर्शाया गया वह सरासर गलत व झूठा है, क्योंकि उक्त स्थान का पट्टा है ही नहीं। यह बात खुद अप्रार्थी को खुद अप्रार्थी को जारी पट्टे के हदूदों से साबित हो रही है। यह है कि ग्राम पंचायत ने पट्टा आवंटन से पूर्व कोई पत्रावली धारित नहीं की गई बिना प्रक्रिया अपनाये बिना जांच, बिना मौके देखे घर पर बैठकर पूर्व सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी ने अपने परिवारजों को फायदा पहुचाने के लिए फर्जी व बनावटी पट्टा अन्य ग्रामीणों के मकान व कब्जो के स्थान पर पट्टा जारी किया गया है जो नियम कानून कायदे के विरूद्ध है। ग्राम पंचायत के पास पट्टे संबंधित कोई पत्रावली नहीं है तथा न ही पट्टा धारक का कोई भूमिहीन होने व सरकारी नौकरी में नहीं होने का शपथ पत्र लिये गये है। इस तरह बिना पत्रावली का नियम विरूद्ध पट्टा होने से खारिज फरमाया जाये। तत्कालीन सरपंच द्वारा पंचायत अधिनियमों के तहत कोई पालना नहीं की और न ही कथित बयनामा की पत्रावली संधारित्र की उक्त तथ्यों को छिपाकर मिथ्या साक्ष्य गढकर बमिलावट अप्रार्थी 01 को पट्टा जारी कराया गया जो पचायत नियमों के विरूद्ध एवं प्रारंभत नल एंड वोईड होने से निरस्ती योग्य है।

अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जबाब में निवेदन किया गया है कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित बिन्दु, तथ्यों के विपरीत एवं आधारहीन है और यह कि प्रश्नगत पट्टा विधि सम्मत एवं पोषणीय है। दिनांक 15.07.2002 को कार्यालय ग्राम पंचायत बडोडा गांव पचायत समिति जैसलमेर द्वारा पट्टा रजिस्ट्रेशन संख्या 1 प्ररूप 23 (नियम 167) (1) आबादी भूमि का विक्रय विलेख राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अधीन धारा 9 के उपबन्धों के आधार पर उक्त पट्टा अप्रार्थी संख्या 1 भीखसिंह पुत्र श्री सवाई सिंह भाटी निवासी बडोडा गांव से बाजार दर जो विक्रेता के लिये लागू है। 225/– रू संकल्प संख्या 7 दिनांक 15.07.2002 द्वारा विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए उक्त पट्टा जारी किया गया। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 में लिखे कथनानुसार गलत तथ्य लिखे गये है। जब कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दिनांक 04.03.2022 को श्रीमान जिला कलक्टर महोदया , जिला जन अभाव अभियोग, निराकरण सतर्कता समिति जैसलमेर को प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया गया कि प्रार्थी की पीढियों की संपति का पट्टा व रजिस्ट्रीसुदा प्लॉट पर किया गया कब्जा हटाने व उचित कार्यवाही का आदेश बाबत् उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थी जुजारसिंह व उसके भाई दुर्गसिंह द्वारा जबरन पत्थरों का कच्चा बाड़ा बनाकर अवैध अतिक्रमण किया गया। जिस संबंध में गांव के मौजीज लोगों की पंचायती कर उक्त बाडा खाली करने को भी कहा गया, लेकिन जुंजारसिंह वगैरह ने अपनी अकड़ की वजह

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(एडीएम) जैसलमेर

से अतिक्रमण नहीं हटाया जिस पर यह प्रार्थना पत्र पेश की गई। अप्रार्थी संख्या 01 के नाम से जो पट्टा सन् 2002 में अप्रार्थी संख्या 2 व 3 द्वारा जारी किया गया। उक्त पट्टा विधि सम्मत पंचायतीराज नियमों के तहत जारी किया गया है। तत्पश्चात अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा उपपंजीयक कार्यालय जैसलमेर से रजिस्टर्ड व पंजीबद्ध करवाया गया। इस प्रकार प्रार्थी की निगरानी प्रार्थना पत्र काबिल खारिज योग्य है। अप्रार्थी भीखसिंह द्वारा उक्त पट्टे का रजिस्ट्रेशन सन 2002में ही उपपंजियक कार्यालय जैसलमेर में करवा दिया गया था। जो प्रार्थी द्वारा इसका पता अभी लगना बताया जा रहा है, जो सरासर गलत है। इस संबंध में पूर्व में ही प्रार्थी को भली भांति जानकारी थी, तथा प्रार्थी ने कई बार उक्त पट्टे व रजिस्टर्ड पट्टे को भली भांति देखा था। हाल ही कुछ समय पूर्व जब अवैध अतिक्रमण किया गया तो अप्रार्थी भीखसिंह द्वारा गांव के मौजीज लोगो को इकट्ठा कर पंचायती करवाई गई। उक्त पंचायती में गांव के मौजीज लोगों द्वारा प्रार्थी जुजारसिंह को समझाया गया कि बिना औचित्य का विवाद मत कर। उक्त जगह का भीख सिंह के पास 20 वर्ष पुराना पट्टा है जो कि पंजिकृत, विधिसम्मत, कब्जासुदा है। तब प्रार्थी ने आवेश में आकर कहा कि मै यह पट्टा खारिज करवाकर ही रहूंगा। प्रार्थी जुंजारसिंह नाराज हो गया, और ईर्ष्या की भावना से उक्त निगरानी याचिका विलंब से पेश की जो कानूनन खारिज योग्य है।

अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से ग्राम विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जबाब में निवेदन किया गया है कि कार्यालय में उपलब्ध समस्त रेकर्ड का अवलोकन किया गया जिसमें उक्त पट्टे से संबंधित रेकर्ड उपलब्ध होना नहीं पाया गया है। पंचायत समिति जैसलमेर से प्राप्त जवाब में निवेदन किया गया है कि तत्समय के रेकर्ड अवलोकन करने पर किसी प्रकार की पट्टा बुक वर्ष 2002 में में ग्राम पंचायत बडोड़ा गांव को जारी होना नहीं पाया गया है। उक्त बुक संख्या/पट्टा संख्या 07/15.07.2002 पंचायत समिति जैसलमेर से जारी नहीं की गई है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने निगरानी प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम पंचायत बडोडा गांव द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के नाम से जारी आवासीय पट्टा विधि विरूद्ध होने से निरस्ती योग्य है। उनका आगे तर्क रहा है कि प्रश्नगत पट्टा जारी करने में निर्धारित विधिक प्रक्रिया का पालन नही हुआ है एवं प्रश्नगत पट्टा मिलावट से फर्जी जारी हुआ हैं जिसे निरस्त किया जाना वांछनीय है। अधिवक्ता प्रार्थी ने आगे कथन किया कि जो निगरानी प्रार्थना पत्र पेश किया है उसको ही बहस समझा जावें।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(एडीएम) जैसलमेर

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 का तर्क रहा कि प्रश्नगत पट्टा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अंतर्गत प्रावधित प्रकिया का पालन करते हुए ग्राम पंचायत बडोडा गांव द्वारा जारी किया गया है। दिनांक 15.07.2002 को कार्यालय ग्राम पंचायत बडोडा गांव पचायत समिति जैसलमेर द्वारा पट्टा रजिस्ट्रेशन संख्या 1 प्ररूप 23 (नियम 167) (1) आबादी भूमि का विक्रय विलेख राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अधीन धारा 9 के उपबन्धों के आधार पर उक्त पट्टा अप्रार्थी संख्या 1 भीखसिंह पुत्र श्री सवाई सिंह भाटी निवासी बडोडा गांव से बाजार दर जो विक्रेता के लिये लागू है। 225/– रू संकल्प संख्या 7 दिनांक 15.07.2002 द्वारा विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए उक्त पट्टा जारी किया गया। प्रार्थी की पीढियों की संपत्ति का पट्टा व रजिस्ट्रीसुदा प्लॉट पर किया गया कब्जा, हटाने व उचित कार्यवाही का आदेश बाबत् उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थी जुंजारसिंह व उसके भाई दुर्गसिंह द्वारा जबरन पत्थरों का कच्चा बाडा बनाकर अवैध अतिक्रमण किया गया। जिस संबंध में गांव के मौजिज लोगों के कहने पर भी प्रार्थी ने अतिक्रमण नहीं हटाया जिस पर यह प्रार्थना पत्र पेश की गई। जो श्रीमान जिला कलक्टर महोदय द्वारा 28.03.2022 को तहसीलदार जैसलमेर व विकास अधिकारी जैसलमेर को पत्र लिखकर किये गये कब्जे को हटाने की कार्यवाही करने का 7 दिवस के भीतर लिखा गया। इसके अलावा पंचायत समिति जैसलमेर द्वारा दिनांक 07.03.2022 को ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत बडोडा गांव को पत्र लिखकर पैतृक संपत्ति के प्लॉट पर किये गये कब्जे के हटाने के संबंध में लिखा गया जो उपरोक्त कार्यवाही चल ही रही थी कि जुंजारसिंह द्वारा बेबुनियाद गलत तथ्यों के आधार पर एक रिविजन प्रार्थना पत्र मान्य न्यायालय में पेश की गई जो काबिल खारिज योग्य है। सन् 2002 में तत्कालीन सरपंच व ग्राम सेवक व पदेन सचिव द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 को पंचायतीराज नियमों के तहत जारी किया गया है। उक्त पट्टे का रजिस्ट्रेशन सन् 2002 में ही उपपंजीयक कार्यालय जैसलमेर में करवा दिया गया था। इस संबंध में प्रार्थी को पूर्व में भली भांति जानकारी थी तथा प्रार्थी ने कई बार उक्त पट्टे व रजिस्टर्ड पट्टे को भली भांति देखा था। इस संबंध में पूर्व में ही प्रार्थी को भली भांति जानकारी थी, तथा प्रार्थी ने कई बार उक्त पट्टे व रजिस्टर्ड पट्टे को भली भांति देखा था। हाल ही कुछ समय पूर्व जब अवैध अतिक्रमण किया गया तो अप्रार्थी भीखसिंह द्वारा गांव के मौजीज लोगो को इकट्ठा कर पंचायती करवाई गई। उक्त पंचायती में गांव के मौजीज लोगों द्वारा प्रार्थी जुजारसिंह को समझाया गया कि विना औचित्य का विवाद मत कर। उक्त जगह का भीख सिंह के पास 20 वर्ष पुराना पट्टा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(एडीएम) जैसलमेर

है जो कि पंजिकृत, विधिसम्मत, कब्जासुदा है। तब प्रार्थी ने आवेश में आकर कहा कि मै यह पट्टा खारिज करवाकर ही रहूंगा। प्रार्थी जुंजारसिंह नाराज हो गया, और ईर्ष्या की भावना से उक्त निगरानी याचिका विलंब से पेश की जो कानूनन खारिज योग्य है। इस प्रकार अप्रार्थी भीखसिंह को जारी पट्टा विधि सम्मत होने से प्रार्थी की याचिका सव्यय खारिज फरमायें जाने की कृपा करावें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अध्ययन किया गया । ग्राम पंचायत बडोडा गांव से प्राप्त जवाब के अनुसार उनके कार्यालय में उक्त कथित पट्टे के संवंध में कोई पत्रावली संधारित नहीं है। और पंचायत समिति जैसलमेर से प्राप्त जवाब के अनुसार उक्त बुक संख्या / पट्टा संख्या 07 / 15.07.2002 पंचायत समिति जैसलमेर से जारी नहीं की गई है। प्रस्तुत जवाब एवं दस्तावेजों में आवेदन से संबंधित कोई कार्यवाही नहीं की गई है जो की गंभीर अनियमितता है। नियमानुसार मौका निरीक्षण, प्रस्ताव एवं निलामी की कार्यवाही से संबंधित आवश्यक दस्तावेंज ग्राम पंचायत बडोडा गांव में उपलब्ध नही होना गंभीर अनियमितता है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के डी.बी. एसपीएल. अपील रीट नं. 918 / 2017 इशाक खान S/o नूरे खां बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में दिये गये निर्णय अनुसार दस्तावेज का पंजीकरण कराने से किसी अवैध जारी दस्तावेज को वैध नही माना जाएगा। साथ ही धोखाधड़ी करके किसी कानूनी अधिकार के बिना प्राप्त स्थानीय प्राधिकारी या सरकार की भूमि का आवंटन शून्य है और ऐसे आवंटन को रदद करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रास्ते में कोई सीमा नहीं है।

अतः प्रश्नगत पट्टा खारिज किए जाने योग्य होने से एतदद्वारा खारिज किया जाता है। पक्षकार अपना-अपना व्यय वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 07.08.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मुन्नीराम बागड़िया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
जैसलमेर